

भारखंड-सरकार

मानव सहायन विकास विभाग
माध्यमिक शिक्षा निदेशालय

प्रेषक,

श्री अलखदेव प्रसाद,
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,
भारखंड, रांची।

सेवा में,

सचिव,
सी०पी०एस०ई०, नई दिल्ली।

रांची, दिनांक 21 अप्रैल, 2003

विषय:-

भारखंड राज्य के अन्तर्गत संचालित निजी विद्यालयों को
सी०पी०एस०ई० से सम्बन्धन हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र
निर्गत करने के संबंध में।


महोदय,

निदेशानुसार कडना है कि मानव सहायन विकास विभाग


भारखंड सरकार के द्वारा विचारोपरान्त सी०पी०एस०ई० से राज्य के अन्तर्गत
संचालित निजी विद्यालयों की सम्बद्धता के लिये निम्नांकित विद्यालयों को नीचे
अंकित शर्तों एवं बन्धनों के अधीन अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत करने का निर्णय लिया
गया है :-

क्रमांक- विद्यालय का नाम

1. प्रीज पगेड स्कूल, तमुधाना, रांची
2. टेन्डर हर्ट सिनियर सेकेंड्री विद्यालय, तमुधाना, रांची
3. राधागोविन्द पब्लिक स्कूल, बाराधोला, रामगढ़ कैन्ट
4. प्रिजली विद्यालय, तिलिया डैम, कोडरमा
5. मेडर्स इन्टरनेशनल स्कूल, गधुपुर
6. गीता देवी डी०एस०ई० पब्लिक स्कूल देवघर
7. रेडरोज स्कूल, कास्टल टाउन, देवघर
8. आर०के०एल स्कूल, गढ़वा
9. सरस्वती शिक्षण विद्यालय देवघर, धनवीर
10. मॉडर्न पब्लिक स्कूल, हुमरी, तिलिया, कोडरमा
11. श्री कृष्ण विद्यालय मंदिर, विकास नगर, रामगढ़ कैन्ट
12. सरस्वती शिशु शिक्षण मंदिर, उकरा, रांची



Principal


Monitor

क. शाला :-

1. विद्यालय की कार्यवाही अल्पतः आय 10% से अधिक नहीं हो सकती यह प्रमाणित हो सके कि विद्यालय लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से स्थापित नहीं किया गया है। कुल आय का 10 प्रतिशत जो कुछ होगा उसका उपयोग भी विद्यालय के विकास में किया जायेगा। विद्यालय में कार्यरत सभी कर्मियों को कम से कम राज्य सरकार में कार्यरत समकक्ष कर्मियों को देय वेतन एवं भत्ते के बराबर सुगम बनाना होगा।
2. विद्यालय को किसी प्रकार का अनुदान नहीं दिया जायेगा।
3. विद्यालय को प्राथरी क्षेत्र में 2 एकड़ एवं प्राथरी क्षेत्र में 4 एकड़ भूमि विद्यालय के नाम से निवृद्धित या कम से कम 30 वर्षों के निवृद्धन पट्टा/लीज पर होना चाहिये। यदि भविष्य में जाचोपरान्त भिन्न स्थिति पाई जायेगी तो अनापति प्रमाण-पत्र वापस लेने का अधिकार अधीनस्थ प्राथरी को सुरक्षित रहेगा।
4. विद्यालय में हिन्दी भाषा की पढ़ाई अनिवार्य रूप से होनी चाहिये।
5. नामाङ्कन हेतु किसी प्रकार का डोनेशन या कैपिटेशन फीस नहीं लिया जायेगा।
6. गरीबी रेखा से नीचे के छात्रों का 10 प्रतिशत स्थान नामाङ्कन के लिए सुरक्षित होगा साथ ही सामान्य श्रुल्ल 50 प्रतिशत श्रुल्ल लिया जायेगा। विद्यालय का कार्य-कलाप संतुलित में होना चाहिये। विद्यार्थियों में राष्ट्रीयता का संघार, नैतिक तथा राज्य के सांस्कृतिक मूल्यों, ऐतिहासिक, भौगोलिक तथा वैज्ञानिक ज्ञान वर्धन शारीरिक एवं व्यक्तित्व विकास हेतु सकारात्मक प्रयास करना होगा।
8. विद्यालय में छात्रों का समुचित संख्या एवं उरके अनुपात में विद्यमान होना चाहिये।
9. विद्यालय में नामाङ्कन प्रक्रिया, कर्मियों की संख्या एवं योग्यता एवं नियुक्ति प्रशासन आदि में समय-समय पर राज्य सरकार समीक्षोपरान्त संशोधन कर सकेगी।
10. विद्यालय संचालन हेतु गणित नियमावली के आधार पर गणित शास्त्री निजाम के सदस्यों की कार्य-पद्धति पूर्ण होने पर तये सदस्यों की शुरुती जिला शिक्षा प्रदाधिकारी कार्यालय में जमा करना होगा।
11. राज्य/केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित विभिन्न प्रकार के एक्सटेन्सन प्रोग्राम तथा स्नोर्सी 0सी 0, स्नोस्सी 0एस 0एस काउंट एवं गाईड आदि को पुंवारु रूप से करना होगा।
12. यदि कोई संस्था पूर्व से किसी बोर्ड से सम्बद्धता प्राप्त हो तो विभागीय परिपत्र संख्या-1055 दिनांक 5-9-2001 के अनुसार शालाओं का पालन करना होगा अन्यथा अनापति प्रमाण-पत्र वापस लेने का सर्वाधिकार राज्य सरकार में सुरक्षित होगा।
13. उपर्युक्त शालाओं या कन्वेनो के अनुपालन न करने की स्थिति में राज्य सरकार जो अनापति प्रमाण-पत्र रद्द करने का अधिकार होगा।
14. अनापति प्रमाण-पत्र के लिये विद्यालय द्वारा समर्पित कागजातों एवं अभिलेखों को जाली अथवा वास्तविक स्थिति से भिन्न पाया जाये या विद्यालय द्वारा संतुलित या राज्यहित के विरुद्ध किया जा रहा है ही या ऐसा कार्य जिससे सामाजिक कटुता पैदा हो तो सरकार निरति अनापति प्रमाण-पत्र को वापस ले सकती है।

335
21/11/2003

Principal

Manager

हे अथवा नहीं' इसकी जाँच समय-समय पर मानव संसाधन विकास विभाग द्वारा खंड के सक्षम पदाधिकारी द्वारा की जायेगी तथा सरकार जब चाहे विधायक संस्था के वित्तीय एवं आकांक्षीय अनिवारितताओं की जाँच करा कर सकेगी और जॉइपोरान्त अनुवर्ती कार्रवाई कर सकेगी ।

16. एतद विषयक फिरि प्रकार के न्यायिक मामलों का निपटारा माननीय खंड उच्च न्यायालय, रांची के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत होगा ।

17. समय-समय पर लोकहित में सरकार द्वारा विधायक सम्बन्धन संबंधी जो निर्णय लिए जायेंगे उसका अनुपालन करना अनिवार्य होगा अन्यथा शाक्तों के उल्लंघन भानते हुए अनापत्ति फ़र प्रयाप्त-पत्र जापरा लेने के साथ-साथ अन्य जानूनी कार्रवाई भी की जा सकेगी ।

विधायकसभाजन

॥ अलखदेव प्रसाद ॥

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा

खंड, रांची

21/11/03

आपाठ 935 / रांची, दिनांक 21 अप्रैल, 2003
प्रतिलिपि, संबंधित सभी क्षेत्रीय उप निदेशक/रांची जिला शिक्षा पदाधिकारी/
सभी संबंधित विधायक के प्रधानाचार्य को सूचनार्थ प्रेषित ।

॥ अलखदेव प्रसाद ॥

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा

खंड, रांची

21/11/03

आपाठ 935 / रांची, दिनांक 21 अप्रैल, 2003
प्रतिलिपि, माननीय मंत्री के आप्त सचिव & रांचीय मानव संसाधन विकास
विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

॥ अलखदेव प्रसाद ॥

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा

खंड, रांची

21/11/03

Principal

Modern Public School

Jhumri Telaiya, Koderma, Jharkhand-825409

AF No. 2450

Manager

Modern Public School

Jhumri-Telaiya